

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी-सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)
दावा सं० 1/395
दायर दिनांक 20.10.2020
अन्तिम डिक्री दिनांक 03.02.2025

- वउनवान
1. धनबाई देवी पत्नि रामकृपाल उर्फ कृपाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम पूनखर थाना मालाखेड़ा जिला अलवर (राज०)

---वादीनी

बनाम

2. रामजीलाल पुत्र मांगेलाल मीणा, जाति मीणा निवासी ग्राम पूनखर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज०
3. राजस्थान राज्य जर्ज लैण्ड होल्डर तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर

---असल प्रतिवादी

---तकमिली प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम पर्चा डिक्री

वाद वादी मुताबिक कुरेजात इस प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि:-

क्र०स०	नाम खातेदारान्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	धनबाई देवी पत्नि रामकृपाल उर्फ कृपाल जाति मीणा सा० देह खातेदार	1899	0.35 है०	चा०सो०	4.20
		1898/2	0.14 है०	चा०सो०	1.68
		किता 2	0.49 है०		5.88
2.	रामजीलाल पुत्र मांगेलाल जाति मीणा सा०देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बालेटा	1897	0.01 है०	गै०मु०चाह	-
		1898/1	0.48 है०	चा०सो०	5.76
		किता 2	0.49 है०	-	5.76



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मालाखेड़ा (अलवर)
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज०)

दावा सं०
1/395

पीठासीन अधिकारी-सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

दायर दिनांक
20.10.2020

अन्तिम निर्णय दिनांक
03.02.2025

वउनवान

1. धनबाई देवी पत्नि रामकृपाल उर्फ कृपाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम पूनखर थाना मालाखेड़ा जिला अलवर (राज०)

—वादीनी

बनाम

2. रामजीलाल पुत्र मांगेलाल मीणा, जाति मीणा निवासी ग्राम पूनखर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज०
3. राजस्थान राज्य जर्ने लैण्ड होल्डर तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर

—असल प्रतिवादी

—तकमीली प्रतिवादी


दावा अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम निर्णय

वादी ने अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1897 रकबा 0.0100 हैक्टेयर 1898 रकबा 0.6200 हैक्टेयर व 1899 रकबा 0.3500 कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनखर तह० मालाखेड़ा का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस तकासमा करने का निवेदन किया। वादी को सुनकर वाद दिनांक 14.08.2024 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मालाखेड़ा को लिखा गया। तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव भिजवाये। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत कुरेजात का अवलोकन किया। वादी के अधिवक्ता ने कुरेजात सही होना स्वीकार किया एवं मुताबिक कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री का निवेदन किया। अतः वाद वादी मुताबिक कुरेजात निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि:-

क्र०स०	नाम खातेदारान्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	धनबाई देवी पत्नि रामकृपाल उर्फ कृपाल जाति मीणा सा० देह खातेदार	1899	0.35 है०	चा०सो०	4.20
		1898/2	0.14 है०	चा०सो०	1.68
		किता 2	0.49 है०		5.88
2.	रामजीलाल पुत्र मांगेलाल जाति मीणा सा०देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बालेटा	1897	0.01 है०	गै०मु०चाह	—
		1898/1	0.48 है०	चा०सो०	5.76
		किता 2	0.49 है०	—	5.76

अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।



(नवज्योति कंवरिया)

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी

मालाखेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर), राज०